भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3342

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन

3342. श्री विजय बघेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 नवम्बर, 2022 के उस आदेश को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें ईपीएस-95 पेंशन गणना के लिए 15000 रुपये की वेतन सीमा को समाप्त कर दिया गया था और दुर्ग लोक सभा क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मचारियों से संबंधित मामलों के लिए अंतिम वेतन को आधार बनाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रायपुर कार्यालय ने इन कर्मचारियों से उनके पिछले वेतन के आधार पर अंतर राशि के रूप में 15 से 30 लाख रुपये वसूल कर लिए और लगभग एक माह बाद उक्त अंतर की राशि लौटाते हुए बाद में उनकी पेंशन देने से मना कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2019 के एसएलपी संख्या 8658-8659 में पारित दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के कार्यान्वयन में, ईपीएफओ द्वारा एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी, जिसमें आवेदकों द्वारा विकल्प/ संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए कुल 17.49 लाख आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए थे।

भिलाई इस्पात संयंत्र एक भविष्य निधि (पीएफ) से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है। इसलिए, इसके कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों की जांच पीएफ ट्रस्ट के नियमों को विचार में रखते हुए की जानी है और निर्णय लिया जाना है।

(ख) और (ग): आवेदकों से प्राप्त सभी गलत राशि ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा ब्याज सहित वापस कर दी गई है। आवेदक भिलाई इस्पात संयंत्र के पीएफ ट्रस्ट के सदस्य थे, जहां वेतन सीमा से अधिक पेंशन निधि में अंशदान की अनुमति नहीं थी। तदनुसार, पेंशन निधि में सदस्यों का अंशदान वेतन सीमा तक सीमित कर दिया गया था।

*****